

# बिहार महिला समाज

## का

# संविधान

# बिहार महिला समाज का संविधान

1. **नाम :-** संस्था का नाम बिहार महिला समाज है।

2. **संस्था का उद्देश्य :-**

(क) बिहार की महिलाओं को अपने अधिकार एवं हित की रक्षा के लिए एकताबद्ध तथा संगठित करना।

(ख) महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक हितों के लिए संघर्ष करना।

(ग) महिलाओं के शोषण, सामाजिक उत्पीड़न तथा भेद-भाव की नीति के अन्त के लिए संघर्ष करना।

(घ) सामाजिक समानता तथा लिंग, भाषा, नस्ल, जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभव का अंत करने के लिए संघर्ष करना।

(च) देश भक्ति तथा देश की सांस्कृतिक परम्परा के प्रति प्रेम की भावना जागृत करना।

(छ) संपूर्ण विश्व की महिलाओं की एकता तथा विश्व शांति के लिए संघर्ष करना।

(ज) अन्य सभी संगठनों से सहयोग करना, जिनके उद्देश्य बिहार महिला समाज के उद्देश्यों के समान हों।

3. **सदस्यता :-**

कोई भी महिला, महिला समाज की सदस्या हो सकती है, बशर्ते :-

(क) उसकी उम्र 18 वर्ष की हो।

(ख) वह महिला समाज के उद्देश्यों एवं संविधान में विश्वास रखती हों।

4. **बनावट ( संगठन का ढाँचा ) :-**

(क) बिहार महिला समाज का संगठन शाखा, स्थानीय परिषद् (लोकल कमिटी), जिला परिषद् और राज्य परिषद् के रूप में होगा।

(ख) शाखा का संगठन मुहल्ला, वार्ड या शहर में होगा, जहाँ कम-से-कम 25 सदस्य हों।

(ग) स्थनीय परिषद् का संगठन शहरों या अंचलों में होगा, जहाँ चार या उससे अधिक शाखायें हों।

(घ) जिला परिषदों का संगठन किसी भी जिला मे हो सकता है, जहाँ जिला के मातहत कम-से-कम पाँच स्थानीय परिषद् हों।

5. **सम्बद्धता :-**

(क) जिला महिला समाज, बिहार महिला समाज के साथ-साथ पाँच रुपये वार्षिक जमा कर सम्बद्ध रह सकता है। शाखा स्थानीय परिषद् के साथ संबद्ध रहेगा, स्थानीय परिषद् जिला परिषद् से संबद्ध रहेगा एवं जिला परिषद् राज्य संगठन से

संबद्ध रहेगा। जिला परिषद् का राज्य परिषद् के साथ संबद्धता शुल्क 15 रु. वार्षिक होगा। शाखा का स्थानीय परिषद् के साथ स्थानीय परिषद् का जिला परिषद् के साथ संबद्धता शुल्क 10 रु. वार्षिक होगा।

(ख) सदस्यता शुल्क 50 पैसे प्रति सदस्य के दर से प्रति वर्ष वसूला जाएगा जिसका बंटवारा इस प्रकार होगा –
स्थानीय परिषद् – 50 पैसा, जिला परिषद् – 50 पैसा, राज्य परिषद् – 1 रुपया।

6. **सम्मेलन :-**

(क) राज्य स्तर का सम्मेलन हर तीन वर्षों में एक बार होगा।

(ख) शाखा स्तर के सम्मेलन प्रति वर्ष होगा और सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व उनके परिषदों के फैसलों के अनुसार होगा।

7. **विभिन्न स्तरों पर इकाइयां :-**

(क) शाखा, स्थानीय जिला या राज्य प्रत्येक स्तर का सर्वोच्च संगठन सम्मेलन होगा।

(ख) प्रत्येक स्तर पर एक परिषद् होगा जिसका चुनाव सम्मेलन द्वारा किया जायेगा। परिषद् का आकार सम्मेलन द्वारा तय किया जायेगा।

(ग) सभी स्तर का परिषद् कार्यकारिणी समिति, अध्यक्ष, तीन से सात उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, दो संयुक्त मंत्री, तीन

सहायक मंत्री तथा कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। कार्यकारिणी समिति का आकार परिषद् तय करेगा। परिषद् की संख्या 65 एवं कार्यकारिणी 25 की होगी।

8. **इकाइयों तथा पदाधिकारियों का अधिकार:-**

(क) परिषद् प्रत्येक प्रश्न पर अपने कार्याधिकार के क्षेत्र में महिला समाज की ओर से फैसला ले सकता है, परिषद् की बैठक साल में कम से कम दो बार होगी।

(ख) कार्यकारिणी समिति परिषद् के फैसलों को लागू करेगी और परिषद् की बैठकों के बीच आवश्यक प्रश्नों पर फैसला लेगी। कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में कम-से-कम चार बार होनी चाहिए।

(ग) अध्यक्ष, परिषद् एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगीं।

(घ) महामंत्री, अध्यक्ष से सलाह लेकर परिषद् तथा कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगीं।

(ड़) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करेगीं।

(च) संयुक्त मंत्री और सहायक मंत्री, महामंत्री को उनके कार्यों में सहायता करेगीं।

(छ) महिला समाज के कोष की जिम्मेवारी कोषाध्यक्ष के ऊपर होगी। समाज का कोष किसी बैंक में जमा होगा, जिसे

महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष सम्मिलित रूप से परिचालित करेंगी।

(ज) प्रत्येक स्तर पर परिषद् को समाज के आवश्यक खर्चों की पूर्ति के लिए सदस्यों पर लेवी लगाने का अधिकार होगा।

9. **नियम और उप नियम :-**
समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य परिषद् को नियम और उप नियम बनाने का अधिकार होगा।

10. **संशोधन** :- सम्मेलन में मात्र बहुमत से तथा राज्य परिषद् में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई के मत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है।

11. **राज्य कार्यालय पटना में होगा।**

12. राज्य सम्मेलन के लिए जिला तथा शाखाएँ, राज्य सम्मेलन के कुछ पहले विशेष सम्मेलन करके प्रतिनिधि का चुनाव करेंगी।

13. बिहार महिला समाज की परिषद् में बिना सूचना के जो लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहेंगी, उन्हें परिषद्, सदस्यता से मुक्त कर देगा।

14. राष्ट्रीय परिषद् के बिहार के जो सदस्य एक भी बैठक में शामिल नहीं होंगी, उन्हें राष्ट्रीय परिषद् में रहने के अधिकार से बिहार महिला समाज मुक्त कर देगा।

15. नई कौंसिल बाकी बचे नामों के पदाधिकारियों के स्थान को पास करेगी जो कार्यकारिणी या परिषद् में बचे हैं।

बिहार महिला समाज द्वारा मुद्रित मूल्य : रु. 5/- मात्र